FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :–अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

प्रार्थी:– बनाम अप्रार्थीगण :–

बुद्धाराम पुत्र प्रभुजी जाति कुम्हार निवासी कोलर, तह. देसूरी जिला पाली राज.

1. प्रभुराम पुत्र जसाराम के कायम मुकाम
   1.1 शेषाराम पुत्र प्रभुजी ता०
   1.2 छोगाराम पुत्र प्रभूजी के का.मु.
   1.2.1मांगीदेवी पत्नी छोगाराम – ता०
   1.3 कैलाश पुत्र प्रभूजी जाति कुम्हार - निवासी कोलर, तह. देसूरी जिला पाली राज.
2. ग्राम पंचायत मगरतलाव तह. देसूरी जिला पाली राज. ता०

किस्म मुकदमा : पंचायत निगरानी संख्या : 167 / 2024

(जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2024 / 166)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज.पंचायती राज. अधिनियम, 1994

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
11.03.2024	पत्रावली पेश हुई। राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 7(15)राज / 2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक / कोर्ट / 2024 / 83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान / वकुलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 15.05.2024 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली	क्र: 474 दिनांक : 15/03/24 को नोटिस जारी।
15/5/24	पत्रावली प्रस्तुत। अप्रार्थी 1.2 मोटर की जुर्माना अधिकारी ने अंतरित किया गया। अप्रार्थी 1.1, 1.2 नोटिस तामील के बाद भी अनुपस्थित। अप्रार्थी 1.2 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी 1.3 का नोटिस तामील नहीं। न्यायहित में पत्रावली दि. 31/5/24 को पेश हो। प्रार्थी भी नोटिस तामील बाद अनुपस्थित 31/5/24 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)	
31/5/24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी स्वयं अथवा अधिवक्ता अनुपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। आवाज दिलाई गई। बाद इंतजार प्रार्थी अनुपस्थित है। पत्रावली अगले पेशी अगले खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर के कर दो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	